न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

न्यायालय एफ.आर. दर्ज नं./CIS No.– 377/2021
एफ.आर. संख्या 35/2020, एफ.आई.आर. संख्या 154/2020 थाना–धमोतर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम या इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक: 17.07.2026 परिवादिया अनुपस्थित। परिवादिया के अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रसंज्ञान गत पेशी पर सुनी गई। इस आदेश के द्वारा परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पीटिशन का निस्तारण किया जा रहा है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादिया ने दिनांक 02.11.2020 को एक टाईपशुदा रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के समक्ष इस आशय की पेश की कि उसके स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी मौजा उमरखारी पटवार हल्का नकोर तहसील व जिला प्रतापगढ़ में स्थित है, जहाँ पर उसने मकान बना रखा है। उसका पति जोधपुर मजदूरी करने गया हुआ है तथा वह बच्चों के साथ वहाँ पर निवास करती है। विगत 15 दिन पूर्व से अभियुक्त उदा, जो कि उसके खेत का पड़ोसी है, उसे बार–बार परेशान करता व कहता कि उसके कोई औरत नहीं है, उसके साथ रिश्ता कर, मना किया तो दिनांक 30.10.2020 को रात्रि 12.00 बजे उक्त व्यक्ति उसके घर पर आया और बाहर से दरवाजा बजाया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उक्त व्यक्ति उसके मकान के अन्दर घुस गया और उसे बाथ में पकड़ लिया, उसके साथ छेड़छाड़ करते हुये उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। वह चिल्लाई तो वह उसे छोड़कर धमकी देकर चला गया कि आयंदा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे अपनी औरत बनाकर ही रखेगा। उसके बाद से आये दिन रात को उसके घर के आस–पास चक्कर लगाता है। ...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना धमोतर पर प्रकरण संख्या 154/2020 अन्तर्गत धारा 458, 354 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद सम्पूर्ण अनुसंधान पुलिस थाना धमोतर द्वारा प्रकरण में एफ.आर. अदम वकू झूठ में प्रस्तुत की गई। उक्त एफ.आर. से व्यथित होकर परिवादिया/पीड़िता ने यह प्रोटेस्ट पिटिशन पेश की एवं प्रोटेस्ट पिटिशन के समर्थन में सी.ड. 1 के रूप में स्वयं को व सी.ड. 2 के रूप में अपने पति को पेश कर परीक्षित करवाया। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता परिवादिया/पीड़िता ने प्रोटेस्ट पिटिशन में तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में पुलिस ने पीड़िता व गवाहान् के बयान कहे अनुसार नहीं लिखे है तथा पुलिस द्वारा सही अनुसंधान नहीं करना बताते हुये अधिवक्ता परिवादिया ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता परिवादी के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन में जो आधार प्रस्तुत किये हैं, उसमें यह अंकित किया गया है कि अनुसंधान से पाया गया कि दिनांक 30.10.2020 को दिन में करीब 12–1 बजे के लगभग पीड़िता का बैल अपने खेत से चरता हुआ आया व अप्रार्थी उदा के खेत में जाकर उदा के बैल पर पड़ गया। दोनों बैल आपस में झगड़ रहे थे तो उदा ने अलग कर पीड़िता को ओलमा दिया, जिस पर पीड़िता ने उदा के साथ गाली–गलौच की, जिस पर वहाँ उपस्थित गवाहान् ने समझाईश करवाई फिर भी पीड़िता उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकियां दे रही थी। आये दिन जमीन विवाह को लेकर पीड़िता, उदा के साथ लड़ाई–झगड़ा करती है। पीड़िता ने करीब दो वर्ष पहले सतु निवासी कुलमीपुरा से जमीन खरीदी, जिस पर वह ओडा बनाकर रह रही है,	

उस जमीन में आने–जाने का रास्ता सही नहीं होने व उबड़–खाबड़ पहाड़ी ढलान होने से वह अपने पशु व साधन उदा के खेत में से होकर ले जाना चाहती है तथा उसके पानी का कुआं व आसपास अन्य पानी का साधन नहीं होने से वह उदा के कुएं से ही पानी भर कर लाती है परन्तु जमीन खरीदने के कुछ समय बाद दोनों के आपस में विवाद होने व खेत की एक ही मेरपाली होने से आषाढ महीने में उदा ट्रेक्टर लेकर उसके खेत में अपने खेत में हंकाई करने गया तो पीड़िता ने उसके खेत में से जाने से मना कर दिया, इसलिए उदा ने भी उसको अपने कुएं से पानी भरने के लिए मना कर दिया तथा उसके खेत कुएं पर नहीं आने की बोला, तब से प्रार्थिया को दूर गाँव से पानी भरकर लाना पड़ रहा है, इससे नाराज होकर व जमीनी विवाद को लेकर ईर्ष्यावश झूठा छेड़खानी का मुदकमा कराया है। प्रार्थिया ने रिपोर्ट में बताया है कि रात में उदा उसके घर पर आया व किंवाड़ बजाया और उसने किंवाड़ खोला तो उसके साथ छेड़खानी करने लगा। प्रार्थिया के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो प्रार्थिया के घर नहीं होकर घास–फूस का ओडा बना रखा है, उसके किंवाड़ वगैरह नहीं है तथा प्रार्थिया ने रिपोर्ट में यह भी लिखाया है कि उसने हांका–हूक किया तो पड़ोसी ने सुन लिया और उदा मौके से भाग गया मगर वास्तविकता में आस–पास आधा किलोमीटर दूर तक पड़ोस में अप्रार्थी के अलावा मकान नहीं है, जो सुना हो और वह भाग गया हो। जमीनी विवाद की बात को लेकर पीड़िता ने अप्रार्थी को दबाव में लेने की गजर से कानूनी सलाहकारों से राय लेकर बढ़ाचढ़ाकर झूठा परिवाद पेश किया है ताकि अप्रार्थी दबाव में आकर उसे कुएं से पानी भरने दे एवं उसकी जमीन में होकर आया–जाया करें। पीड़िता के साथ रात्रि में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, दिन में हुई बोलचाल को लेकर झूठी रिपोर्ट की है।

उपरोक्त आधारों के खण्डनस्वरूप पीड़िता सी.ड. 1 ने अपने बयानों में सारतः यह बताया है कि बयान लेखन से छह साल पहले की बात है, रात को 12 बजे उदा उसके घर पर आया था, जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उदा ने उसे बाहों में भर लिया और कहने लगा कि उसे औरत बनायेगा। उसके कपड़े खोल दिये व उसके साथ खोटा काम किया। उसने धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो उसे जान से खत्म कर देगा। उदा जिस दिन उसके घर आया, उस समय उसके घर वाले जोधपुर गये हुये थे। उसका पति मजदूरी करने गया था। इसी प्रकार अन्य गवाह सी.ड. 2 ने अपने बयानों में बताया कि उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी, जब वह घर आया तब यह बात उसकी पत्नी ने उसे बताई थी।

सर्वप्रथम यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिवादिया ने अपने परिवाद में मुख्य रूप से दिनांक 30.10.2020 की रात्रि में 12.00 बजे अप्रार्थी उदा का उसके खेत पर स्थित मकान पर आकर दरवाजा खटखटाना और दरवाजा खोलने पर उसके मकान में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुये गलत काम करने की कोशिश करने का कथन किया है और आस–पड़ोस के लोगों को आवाज लगाने पर अप्रार्थी का धमकी देकर भागना बताया है। इस संबंध में परिवादिया के बयानों का अवलोकन करें तो पीड़िता ने उसके कपड़े खोल देने और उसके साथ खोटा काम करने का कथन किया है। इस प्रकार एक तरफ परिवादिया स्वयं के साथ छेड़छाड़ होने का कथन करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने बयानों में उसके साथ खोटा काम करने का कथन करती है, जो कि परस्पर विरोधाभासी कथन है, जिस कारण परिवादिया के कथनों पर संदेह उत्पन्न होता है। इस संबंध में जब हम परिवादिया के धारा 164 द.प्र.सं. के बयानों का अवलोकन करतें हैं तो परिवादिया ने अपने बयानों में कथन किया है कि रात को उदा उसके घर पर आया और किंवाड़ को बजाया और उसने जैसे ही किंवाड़ खोला, वह उसके साथ छेड़खानी करने लगा, फिर उसने

हाँका किया तो पड़ोसी ने सुन लिया था, जिस कारण वह भाग गया। इस प्रकार उक्त 164 द.प्र.सं. के बयानों में भी पीड़िता ने स्वयं के साथ खोटा काम होने के कथन नहीं किये हैं बल्कि छेड़छाड़ होना बताया है और छेड़छाड़ करते समय हांका करने पर पड़ोसी द्वारा सुन लिये जाने का कथन किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में यह पाया है कि पीड़िता बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पीड़िता के घर नहीं होकर घास–फूस का ओडा बना रखा है और उसके किंवाड़ वगैरह नहीं है तथा प्रार्थिया ने यह भी बताया है कि उसने हांका–हूक किया तो पड़ोसी ने सुन लिया और उदा मौके से भाग गया मगर वास्तविकता में आस–पास आधा किलोमीटर दूर तक पड़ोस में अप्रार्थी के अलावा मकान नहीं है। ऐसी स्थिति में पीड़िता का मौके पर मकान नहीं होकर घास–फूस का ओड़ा होने और उसके किंवाड़ नहीं होने का तथ्य पत्रावली पर आया है, जिसका कोई खण्डन पीड़िता की ओर से नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी पत्रावली पर आया है कि पीड़िता के निवास स्थान के आस–पास आधा किलोमीटर दूर तक पड़ोस में अप्रार्थी के अलावा कोई मकान नहीं है, ऐसी स्थिति में पीड़िता का अपने धारा 164 द.प्र.सं. के बयानों में यह कथन किया कि मौके पर हांका–हूक करने पर पड़ोसी ने सुन लिया था, माने जाने योग्य नहीं है और पीड़िता की साक्ष्य पर गंभीर अविश्वास उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त स्वयं पीड़िता के बयानों से तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से न्यायालय के समक्ष यह उभरकर आया है कि पीड़िता व अप्रार्थी उदा का खेत पास–पास है, जिनके मध्य कुएं के पानी को लेकर तथा जमीन पर आने–जाने को लेकर विवाद विद्यमान है। ऐसे में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि पीड़िता ने उक्त विवाद के चलते अप्रार्थी उदा के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो क्योंकि स्वयं पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है और पीड़िता ने पुलिस अनुसंधान में जो तथ्य आये हैं, उनका कोई खण्डन अपने बयानों में नहीं किया है।

इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार पीड़िता द्वारा अपनी रिपोर्ट व बयानों में विरोधाभासी कथन करना और अप्रार्थी के विरूद्ध घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई ठोस एवं सुदृढ़ साक्ष्य प्रथम दृष्ट्या पत्रावली पर नहीं होने से पुलिस अनुसंधान पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार न्यायालय के समक्ष नहीं है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी के विरूद्ध ऐसे कोई अवयव पत्रावली में मौजूद नहीं है, जो उसे आपराधिक कृत्य से जोड़ते हो। पीड़िता के द्वारा पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिससे पुलिस द्वारा लिए गए साक्ष्यों का खंडन हो सके। अप्रार्थी द्वारा पीड़िता के साथ कोई घटना कारित करना प्रथम दृष्ट्या प्रकट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 458, 354 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अप्रार्थी उदा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 458, 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं होने से उसके विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान नहीं लिया जाता है। परिणामस्वरूप परिवादिया/पीड़िता की ओर से प्रस्तुत प्रोटेस्ट पेटिशन को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पुलिस थाना धमोतर द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. को अदम वकु झूठ में स्वीकार किया जाता है। एफ.आर. पत्रावली थानाधिकारी, पुलिस थाना धमोतर को लौटाई जाए। पत्रवाली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Digitally signed by ROHIT SHARMA
Date: 2026.07.17 16:32:21 +0530